संख्याः-82/1397जेएल/22-3-2022-200(1)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 02 दिसम्बर, 2022

विषयः-आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-35767/प्रोवेशन-2/234/गृह अवकाश/2022, दिनांक 11.11.2022 में किये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध 06 सिद्धदोष बंदियों के दण्डादेश के निलम्बन का प्रपत्र दो प्रतियों में संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बंदियों को आदेश में उल्लिखित धनराशि का निजी बन्धक (PERSONAL BOND) निर्धारित प्रपत्र पर भराने के पश्चात संलग्न सूची के अनुसार उन्हें 15 (पन्द्रह) दिनों के लिये घर जाने हेतु अनिवार्य रूप से मुक्त किया जाय। बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि:-

1. बंदी द्वारा आदर्श कारागार, लखनऊ में एक वर्ष की सजा पूर्ण कर ली गयी हो और उसका कार्य एवं आचरण अच्छा हो।
2. यदि कोई बंदी मा0 उच्चतम न्यायालय के सामान्य आदेशों के अन्तर्गत जमानत पर मुक्त किया गया है, उसने अभी कारागार में आत्म समर्पण नहीं किया है तो उसे गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।
3. यदि बंदी की सजा किसी अन्य प्रदेश में स्थित मा0 न्यायालय से हुयी हो तो उसको गृह अवकाश पर मुक्त न किया जाय।
4. गृह अवकाश उन्हीं बंदियों को स्वीकृत किया जाय जो पैरोल के लिये निर्धारित मानकों के अनुसार पात्र हों अर्थात हत्या के मामले में 03 वर्ष एवं डकैती सहित हत्या के मामले में 04 वर्ष की अपरिहार सजा भोगी जा चुकी है।
5. बंदी पूर्व वर्षों में स्वीकृत गृह अवकाश की समाप्ति के उपरान्त समय से निर्धारित तिथि पर कारागार में वापस हाजिर हुआ हो।
6. बंदी के पास रहने के लिये घर हो तथा उसके खाते में श्रम द्वारा अर्जित इतनी धनराशि जमा हो कि गृह अवकाश पर जाने तथा वापस आने के लिये व्यय की जाने वाली धनराशि के पश्चात भी उसके खाते में कम से कम रू0-10.00 शेष रहे।
7. जिन बंदियों को गृह अवकाश पर मुक्त किया जायगा उसकी सूचना अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को इस अनुरोध के साथ दी जायेगी कि बंदी के गृह अवकाश की अवधि में सम्बन्धित थाने के माध्यम से नियमित निगरानी एवं अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात उनकी समय से कारागार में वापसी सुनिश्चित करें।

2- उपरोक्त प्रतिबन्धों के अनुसार जो बंदी गृह अवकाश के लिये अर्ह न हो, उनके गृह अवकाश स्वीकृति के आदेश शासन को तुरन्त वापस कर दिये जाये।

3- उपरोक्त बंदियों को शासनादेश की प्रति प्रपत्र के प्रस्तर-2 में अवकाश की अवधि की तिथियों को भरने के पश्चात दे दें।

4- कृपया तद्नुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-82/1397(1)जेएल/22-3-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि सूची सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेरषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-35767/प्रोवेशन-2/234/गृह अवकाश/2022, दिनांक 11.11.2022 के संदर्भ में।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः-82/1397जेएल/22-3-2022-200(1)/2022 दिनांक दिसम्बर, 2022 का

संलग्नक

क्र0	बंदी/पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	2	3	4
1	मुन्शी प्रसाद पुत्र श्री पूजन पासी	गोरखपुर	15051
2	दलजीत सिंह पुत्र श्री दृगपाल	शाहजहाँपुर	17158
3	हरीश उर्फ बब्लू पुत्र श्री नेकपाल	बरेली	17225
4	राम चन्दर उर्फ चन्दर पुत्र श्री जिलेदार	गोण्डा	17228
5	शिवनाथ पुत्र श्री जिलेदार	गोण्डा	17229
6	मनोज कुमार पुत्र श्री रामपाल	बागपत	17131

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।